प्रेषक

डा0 यू0एस0मलिक, प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग,
सिंचाई भवन, 'बी' ब्लॉक, पंचम तल,
सैक्टर 5, पंचकूला ।

दूरभाष : 0172--2573875

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
(पी0डब्ल्यू0डी0 की तीनों शाखाओं को छोड़कर)

यादि कमांक टीए-- (एटीआई)2015 / 1143
दिनांक 11-12-2015

विषयः-- **लेखा प्रशिक्षण -- सिविल कोर्स (लिपिक / सहायक / आशुटंकक --तृतीय वर्ग) का 26वां कोर्स ।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि लिपिक / सहायक / लेखाकार / आशुटंकक इत्यादि को लेखा प्रशिक्षण देने हेतु विषयाधीन कोर्स दिनांक **18.01.2016 से 29.01.2016** तक लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में आरम्भ किया जा रहा है । इस कोर्स की अवधि 2 सप्ताह की होगी । इस प्रशिक्षण की विशेष बातें निम्नलिखित हैं --

1. प्रशिक्षण का समय दो सप्ताह का होगा और प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों का अन्तिम दिन टैस्ट भी लिया जाएगा ।
2. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नियम 2.88 सी0एस0आर0, खंड--।।। तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित विभाग से मिलेगा ।
3. संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं है अतः उन्हें ठहरने का प्रबन्ध स्वयं करना होगा । संस्थान द्वारा दो समय चाय तथा वर्किंग लंच प्रदान किया जाता है, इससे यात्रा भत्ता अवेल करने में कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।

इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से दो या तीन कर्मचारियों के नाम इस कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोर्स आरम्भ होने से पहले सूचित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा सके । यह पत्र आपको खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा की वैबसाइट http://www.hrtreasuries.gov.in पर उपलब्ध है ।

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
पंचकूला ।